फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
जेठाराम वगै	बनाम	सरकार वगै

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद मुकदमा नं.– 166/2017

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
5/17	यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरूद्ध अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 30.6.17 को पेश हो।	
28/7/17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर प्रभारी से आज पेश/परत्यी आई। पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 27.10.17 को प्रस्तुत करें।	
27.10.17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 29.12.2017 को प्रस्तुत करें।	
29.12.17	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी तामील हेतु नोटिस तलबाना पेश करे। पत्रावली दिनांक 04.04.18 को पेश हो।	
4.4.18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 2.7.18 को प्रस्तुत करें।	
9.5.18	पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर में अटल सेवा केन्द्र में ग्राम... में पेश हुई।	

वकील वादी को तामील हेतु बार-२ अवसर दिये जा चुके है उस के बावजूद भी नोटिस तलबाना पेश नहीं किया है। न्याय हित में तामील हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली तामील हेतु दिनांक 16.5.18 को पेश हो।

.5.17 पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर में
अटल सेवा केन्द्र रोहू में पेश हुई
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
राजस्व रिकार्ड से जवाब लिया गया।
राजस्व रिकार्ड के जवाब पेश कर निवेदन
किया कि वादी गोरधनराम पुत्र
रेवताराम ब्राह्मण के खेत खसरा
नम्बर 160 मौजा गुजरियाळी के पूर्व
की तरफ वादी जेठाराम पुत्र रेवताराम
886/160 खेत ख. नं. में राजस्व
रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज है, वादीगण
के खेत खसरा नम्बर 160 से छोड़कर
राजकीय रास्ता को नक्शा अनुसार सीमाज्ञान
करवाकर कच्ची रास्ते पर सड़क किया जा
सकता है पत्रावली का अवलोकन किया गया
वादीगण कच्ची रास्ता पटरी सड़क
बनाने की ईजा हुआ कि है जो स्वीकार
की जाती है। वादी का वाद स्वीकार कर
आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी सं.
01 से 02 वादीगण के खेत खसरा
नम्बर 886/160, 887/654, 160, 369 व
884/654 में अतिक्रमण नहीं करेगा तथा
इन का सीमाज्ञान करवाकर कच्ची
रास्ते पर सड़क का निर्माण करें।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कमखारिज होकर दाखिल हो।